दलितों व शोषितों का पाक्षिक पत्र
विज्ञापन के लिए केन्द्रीय सरकार व राज्यों द्वारा स्वीकृत

हमायती

सम्पादक–डॉ0 सोहनपाल सुमनाक्षर

❑ वर्ष 57 ❑ अंक-7 ❑ दिल्ली ❑ जनवरी, 2019 (द्वितीय) ❑ मूल्य : 2 रु.

भारतीय दलित साहित्यकार अकादमी, मध्य प्रदेश का स्वागत समारोह

मूल निवासियों ने बनाया था भारत को सोने की चिड़िया

-डा. सोहनपाल सुमनाक्षर

''दलित, शोषित, उत्पीड़ित, उपेक्षित, भूमिहीन, अधिकार विहीन लोग इस देश के मूल निवासी हैं और इन्हीं मूल निवासियों ने अपने पराक्रम, परिश्रम और बहुजन हिताय–बहुजन सुखाय की भावना के बल पर भारत को सोने की चिड़िया बनाया था, जिसे विदेशी आक्रमणकर्त्ता आर्यों ने लूट–खसोट, विश्वासघात करके इस समृद्धशील सभ्यता को नष्ट कर कुरूप और निर्धन बना दिया। हमें अपने आत्मबल, परिश्रम और पराक्रम से अपने गौरवमयी इतिहास को पुनः वापस लौटाना है ताकि भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाया जा सके।''

भारतीय दलित साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. सोहनपाल सुमनाक्षर ने भारतीय दलित साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश द्वारा 2 जनवरी, 2019 को पी.डब्ल्यू.डी. के सभागार, उज्जैन में आयोजित स्वागत समारोह में कहे। नववर्ष के शुभावसर पर यह स्वागत समारोह अकादमी के 34वें राष्ट्रीय सम्मेलन के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने के उपलक्ष में डा. सुमनाक्षर के उज्जैन पधारने पर आयोजित किया गया था।

भारतीय दलित साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्री पी.सी. बैरवा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. सुमनाक्षर का स्वागत करते हुए कहा कि डा. सुमनाक्षर ने अकादमी के माध्यम से दलित साहित्य की स्थापना कर महान कार्य किया है जिसके बल पर हम आज जान सके हैं कि हम कौन थे, अब कैसे क्या हो गये, और अब भविष्य में हम अपना पुनः उद्धार कैसे कर सकते हैं।

आज देश में भारतीय दलित साहित्य अकादमी अकेली ऐसी संस्था है जो बिना किसी सरकारी सहायता के अपने शुभचिन्तकों के सहयोग से दलित जन चेतना और दलितोत्थान में जुटी है। देश के 35 राज्यों में अकादमी की प्रदेश शखा में जिला स्तर तक लोगों में उनके मानवीय अधिकारों के लिए जन चेतना जागृत कर रही है। डा. सुमनाक्षर ने अकादमी के माध्यम से दलितों में जो जन चेतना जागृत हुई है और वे अपने मानवीय अधिकारों को जानने लगे हैं और फिर उनकी प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए डा. सुमनाक्षर की जितनी प्रशंसा की जाये कम है।

मध्य प्रदेश दलित साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष डा. जी.एस. धवन ने कहा कि पिछले 34 सालों में डा. सुमनाक्षर के नेतृत्व में दलित साहित्य के माध्यम से जो जन चेतना आई है और लोग अपने समता के अधिकारों को जानने लगे हैं, यह एक ऐतिहासिक कार्य है। हम आज सुमनाक्षर जी का जो अभिनन्दन कर रहे हैं, वह उनके सतत निष्ठा के साथ किये कार्यों के लिए है जिसमें दलित समाज को एक नई दिशा दी और जिसकी ओर हम निरन्तर आगे बढ़ रहे हैं।

विक्रम यूनीवर्सिटी में पं. जवाहर लाल नेहरू इन्स्टीट्यूट आफ बिजनेस मैनेजमेंट के डायरेक्टर डा. डी.डी. बेदिया ने डा. सुमनाक्षर के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनके द्वारा स्थापित दलित साहित्य ने साहित्य में अपना अलग स्थान बनाया है। स्वाभिमान जगा है जो सदियों से अपने मानवीय अधिकारों से वंचित थे। आज वे भी गर्व से कहते हैं कि आज उनका भी दलित साहित्य, दलित कला, दलित इतिहास और दलित धर्म है।

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में प्राचीन इतिहास, कला, संस्कृति, शोध संस्थान के अध्यक्ष प्रो. रामकुमार अहिरवार ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में दलित साहित्य, दलित कला और दलित इतिहास ने अपना अलग स्थान बनाते हुए जो दलितों का प्राचीन गौरवमयी इतिहास की खोज की है, उसने समाज में स्थापित सवर्ण साहित्य व सवर्ण इतिहास की दिशा ही बदल दी है। आज समाज में सवर्ण साहित्य नकारा जाने लगा है और सवर्ण इतिहास की मनघडन्त कथा उजाकर होकर कपोल कल्पित साबित हो गई है। इसका श्रेय है डा. सुमनाक्षर की निष्ठा, सतत प्रयास, उनका त्याग–तपस्या को है जो 78 साल की उम्र में भी निरन्तर दलित साहित्य को आगे बढ़ाने में लगे हैं।

युवा समाजसेवी श्री सुरेन्द्र मरमट ने कहा कि मैं डा. सुमनाक्षर जी के व्यक्तित्व व कृतित्व से काफी प्रभावित हूं। 34वें राष्ट्रीय दलित साहित्यकार सम्मेलन में देश–विदेश के साहित्यकारों व प्रतिनिधियों के बीच समन्वयता बनाकर चल रहे थे, उससे मैं काफी प्रभावित हुआ हूं। मैं अकादमी को 34 सालों में देश–विदेश में फैलाने और लाखों लोगों के घरों तक बाबा साहब डा. अम्बेडकर की विचारधारा पहुंचाने के लिए उनको बधाई देता हूं और

(शेष पृष्ठ 3 पर)

सम्पादकीय

काश! दलितों को दो वोटों का अधिकार मिल जाता

बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने इंगलैंड की राउण्डटेबुल कान्फ्रेंस में अंग्रेजी सरकार के सामने भारत के दलितों की दुर्दशा की तस्वीर पेश करते हुए दलितों को वोट का अधिकार दिये जाने के साथ ही उनकी आबादी के अनुपात में निर्वाचन, शिक्षा व रोजगार में आरक्षण कोटा निर्धारित करने की जोरदार मांग की थी। अंग्रेजी हुकूमत ने बाबा साहब डा. अम्बेडकर की मांगों को स्वीकारते हुए 1932 में 'कम्युनल अवार्ड' की घोषणा की थी जिसके तहत भारत के दलितों को निर्वाचन में दो वोटों का अधिकार देने और उनकी आबादी के अनुपात में पृथक निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित करने का प्रावधान था। इन दो वोटों में से एक वोट से वे निर्वाचन में सवर्ण उम्मीदवार को चुन सकते थे और दूसरे वोट से वे अपने दलित उम्मीदवार को चुन सकते थे। इसके लिए सवर्ण व दलित उम्मीदवारों के लिए पृथक–पृथक निर्वाचन का प्रावधान था। दलितों को यह 'कम्युनल अवार्ड' दिये जाने से सवर्ण व दलित प्रतिनिधि चुनने की ताकत सीधे दलितों के हाथ में आने वाली थी, पर अंग्रेजी हुकूमत द्वारा दलितों को यह दो वोट का अधिकार देना और उनके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाना महात्मा गांधी को मान्य नहीं था। उन्होंने कहा कि दलितों को ये अधिकार दिये जाने से हिन्दू समाज को नुकसान होगा और हिन्दू समाज टूट जायेगा। इससे दलितों के हिन्दू धर्म से छोड़ने की आशंका बढ़ेगी और इससे हिन्दू धर्म भी खतरे में पड़ जायेगा। इसलिए अंग्रेजी हुकूमत द्वारा दिये इस 'कम्युनल अवार्ड' को वापस लौटाने के लिए दबाव बनाने के लिए महात्मा गांधी ने पूना की यरवदा जेल में, जहां वह पहले से ही नजरबंद थे, आमरण अनशन की घोषणा कर दी।

महात्मा गांधी के इस आमरण अनशन को दलितों को मिलने वाले राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक समता के अधिकार के विरुद्ध बताते हुए बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि देश में सामाजिक समता की बात करने वाले गांधी जी को दलितों को सशक्त बनाने के लिए अंग्रेजी सरकार द्वारा दी गई कुछ सहूलियतों व अधिकारों का इस तरह विरोध न करके उनका समर्थन करना चाहिए था। बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने गांधी जी से अपना आमरण अनशन खत्म करने की अपील की, पर गांधी जी 'हिन्दू धर्म खतरे में है' की दुहाई देते हुए अपने अडियल रवैये पर अडिग रहे। आमरण अनशन से गांधी जी का स्वास्थ्य निरन्तर गिरने लगा। इससे हिन्दू समाज और हिन्दू नेता चिन्तित होने लगे कि अगर गांधी जी को कुछ हो जायेगा तो देश में अछूत–दलितों व सवर्ण लोगों के बीच खून–खराबा होगा और फिर देश अंग्रेजी गुलामी से आजाद नहीं होगा।

इसलिए सवर्ण हिन्दू नेताओं ने बाबा साहब डा. अम्बेडकर पर दबाव बनाया और अपील की कि वे अंग्रेजी सरकार द्वारा देश के दलित अछूतों को दिये 'कम्युनल अवार्ड' को लौटा कर गांधी जी के प्राण बचायें।

उन्होंने बाबा साहब डा. अम्बेडकर से कहा कि अगर आमरण अनशन पर अडिग रहने से गांधी जी की मौत हो गई तो उसका कलंक आप पर लगेगा और देश में बलवा हो जायेगा जिसमें सवर्ण और अछूत–दलितों के बीच खून–खराबा होगा और अछूतों को इसमें सबसे ज्यादा नुकसान होगा। अब बाबा साहब डा. अम्बेडकर के सामने गांधी जी के प्राण बचाने और दलितों को मिले आरक्षण के प्रावधान को कायम रखने का संकट था। इस पर हिन्दू नेताओं ने गांधी जी से परामर्श करके दलितों को समाज की मुख्यधारा में लाने और उन्हें सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षणिक समता प्रदान करने के लिए एक 'समझौता नामा' तैयार किया, जिसके अन्तर्गत दलित अछूतों को उनकी आबादी के अनुपात में निर्वाचन में आरक्षण कोटा लागू करके, निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित करना, सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में आरक्षण कोटा लागू करने का प्रावधान रखा गया था जो तब

(शेष पृष्ठ 2 पर)

भारतीय दलित साहित्य अकादमी प्रकाशन

विश्व धरातल पर दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
अंधा समाज और बहरे लोग	डॉ. सुमनाक्षर	60/–
सिन्धु घाटी बोल उठी	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
अब नहीं रहेंगे हाशिये पर	डॉ. सुमनाक्षर	80/–
अम्बेडकर शतक	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
विश्व विभूति डा. अम्बेडकर	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
दलित लेखक परिचय ग्रंथ (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	250/–
बुद्धा टू अम्बेडकर (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	150/–
दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
अम्बेडकर दर्शन	डॉ. सुमनाक्षर	40/–
हमारे संत और समाज सुधारक	डॉ. सुमनाक्षर	60/–
धर्म और समाज	डॉ. सुमनाक्षर	40/–
आदिम जाति चमार (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	300/–
दलित उद्घोष	डा. सुमनाक्षर	80/–
दलित साहित्य की हुंकार-सात समन्दर पार	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
युगपुरुष बाबू जगजीवनराम	डॉ. सुमनाक्षर	200/–
प्राचीन आदिम जाति वाल्मीकि (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
सभ्यता, संस्कृति, समाज और साहित्य	आचार्य गुरुप्रसाद	100/–
डा. अम्बेडकर भजनावली	राजमल 'राज'	25/–
हमारे दलित गौरव	राजमल 'राज'	25/–
भारत रत्न डा. बी.आर. अम्बेडकर	राजमल 'राज'	25/–
मूल भारती से दलित	राजमल 'राज'	50/–
अम्बेडकरवाद बनाम सामाजिक परिवर्तन	राजमल 'राज'	80/–
दलित साहित्य–दशा और दिशा	डा. माता प्रसाद	200/–
दलित साहित्य से सामाजिक परिवर्तन	डा. माता प्रसाद	100/–
भारत की गुलामी के 22 सौ साल	प्रदीप कुमार मौर्य	250/–
सृजन के कण	जीपी पचौरिया 'दीप'	150/–
बौद्ध धर्म–गया से अयोध्या तक	प्रदीप कुमार मौर्य	120/–
गांधी, अम्बेडकर और दलित	प्रदीप कुमार मौर्य	100/–
सत्सम दर्शन	राजमल 'राज'	100/–
जागा मेहनतकश इंसान	राजमल 'राज'	50/–
हम एक हैं	डा. माता प्रसाद	60/–
रैदास से संत शिरोमणि गुरु रविदास	डा. माता प्रसाद	50/–
ताकि सनद रहे	डा. सुमनाक्षर	100/–

पुस्तक मंगाने के लिए मनीआर्डर से राशि अग्रिम भेजें, व्यवस्थापक,

दलित साहित्य सेन्टर

(भारतीय दलित साहित्य अकादमी)

बी-3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन-1, दिल्ली-9

फोन : 27421449, 27421460, मो. 9810278936

आर्य अनार्यों का भेद

• प्रो. बाबूलाल चांवरिया

21 मई 2001 को 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के अंग्रेजी वर्जन में खबर छपी कि भारत में बसने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य (सवर्ण जातियां) विदेशी प्रजातियां हैं, जिनका डी.एन.ए. विदेशी प्रवासी आर्य नस्लों से मिलता है, जो विश्व के अनेक अंग्रेजी नागरिकों से मैच करता है। भारतीय मूल निवासी शूद्रों, अस्पृश्य और आदिवासियों का डी.एन.ए. इनसे भिन्न है। अब इस डी.एन.ए. के परिणामों को प्रमाणित मान लेना चाहिए कि आर्य नस्ल के लोग वोल्गा और यज़वेन से ईरान के रास्ते से भारत में सिंध के दर्रों और अफगान की पठारों के रास्तों से चार हजार वर्षों पूर्व पहुंचे। भारत में द्रविड़, शैंधव सभ्यता के नागवंशीय नस्लों के मूल निवासी रहते थे। उन्हें पराजित करके आर्यों ने उन्हें गुलाम बनाया, वे अब आर्य हिन्दू कहलाते हैं और हम मूलनिवासी दलित। याद रहे दोनों नस्लें भिन्न हैं।

भारोपीय भाषा

भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के साथ विभिन्न जातियों का उदय होता है—तमिल, तेलगु, हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि। विभिन्न जातियां अपनी भाषा, संस्कृति, रीति—नीति, आचार—विचार के संवर्द्धन और सुरक्षा के प्रति अधिक सचेत हो उठती है। भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण एक जाति का दूसरी जाति से सम्बद्ध होना अनिवार्य है पर उसका जोर अपनी विशिष्टता बनाये रखने पर ही होता है।

भारोपीय भाषाओं का जन्म दो भिन्न नस्लायी भाषाओं से हुआ है। भारतीय भाषा पालि, प्राकृत, अपभ्रंश मूल निवासियों की है जबकि आर्य भाषा अवेश्ता (ईरान की भाषा) और वैदिक मिश्रित भाषा है उसे योरोपीय भाषा कहते हैं। भारतीय और योरोपीय भाषा मिश्रित की गई तब संस्कृत (आर्यों की गोपनीय भाषा) का निर्माण हुआ। अतः भाषायी आधार पर, हिन्दू और दलित दो अलग—अलग नस्लें हैं और इनकी भाषा भारोपीय भाषा कहलाती है।

भाग्य और भगवान को छोड़ो

जो दलित आन्दोलन के प्रवर्तक नेता आजीवक धर्म के आडम्बर और पूजा—पाठ के स्वांग तथा भाग्य और भगवान के मिथ्या जाल से दलित समाज को दूर करते रहे, आज का दलित उन्हीं की मूर्तियां सजाकर पूजवाता है और पंडे पुजारियों की भाषा बोल रहा है और जिन मंदिरों में जातिगत तानाशाही तंत्र चलता है वहां पर मोक्ष खोज रहा है अपनी मूल जड़ों से उखड़े दलितों से राजनीतिक, सामाजिक धरातल पर भेदभाव व उनकी धार्मिक मौजूदगी की आस्था को उत्पन्न कर रहा है। यह दलित राजनीति की परस्पर विरोधी विचारधारा है, जो दिनों—दिन दलितों के पतन का कारण बनती जा रही है।

धार्मिक आस्था का अंत हो

दलित राजनीति, जिसके मूल में ब्राह्मणवादी व्यवस्था विरोधी स्वर थे, ने अपने समाज के लोगों में मनुष्य से मनुष्य के बीच भेद करने वाले विभाजनकारी विचार को निशाना बनाया था। पर उस राजनीति के भटकाव के बाद उस समाज का भटकाव कोई आश्चर्यजनक नहीं है। यह तो होना ही था। मौजूदा दलित इस बात को भांप रहे हैं कि सिर्फ कोरी वैचारिक बातें करने से भेदभाव का हल नहीं होगा, बल्कि व्यवहारिकता में इसको अपनाना होगा। बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि दलितों में धार्मिक आस्था को नष्ट कर देना चाहिए। दलितों के हितों के लिए काम करने वाले राजनीतिक और स्वयंसेवी संगठन दलितों में तरक्की का दिखावा करने की कोशिश में उनको मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं। यह संगठन होली में दलितों को रंग खेलने, दीवाली में दीये जलाने और मंदिरों में पूजा करवाने को आधुनिकता और नये—नये रिवाजों को ही फैशन को भी तरक्की का हिस्सा मान लेते हैं। ऐसा करते समय वे भूल जाते हैं कि जिस जातिवादी व्यवस्था का वे अंग बनते जा रहे हैं वह उनकी तरक्की में सबसे बड़ी बाधा रही है। बाबा साहब इस अवरोध को तोड़ने का संदेश देते हैं। दलित नेताओं से जब दलित जनमत दूर हुआ तो वे पत्थर को दूध पिलाने वालों के साथ चले गए। दलित राजनीति आज दलित समाज में उभरे मध्यमवर्ग के समझौतावादी हो जाने को एक खतरे के रूप में महसूस कर रही है लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रही। शिक्षित व अर्द्धशिक्षित तथा निरक्षर वर्ग हिन्दुत्व के नवराष्ट्रवाद का जिस तेजी से शिकार हो रहा है वह दलित अस्मितता के लिए खतरा बनता जा रहा है। दलितों में होली व दीपावली स्नेह मिलन, दुर्गा पूजा, गरबा खेल, गणेशोत्सव, रामलीला, दशहरा उत्सव, चारों धाम यात्रा, कुम्भ स्नान, शेरावाली का रतजगा, नवरात्रि पूजा, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि आदि नये—नये धार्मिक उत्सवों का आकर्षण पैदा किया जा रहा है। दलितों में भी हिन्दुओं के नायकों को पूजने और त्यौहार मनाने का क्रेज तेजी से बढ़ता जा रहा है। दलित अपनी बस्तियों में इनके उत्सव के पांडाल लगाते हुए बड़ा गर्व महसूस करते हैं।

भारत सरकार में सबसे मजबूत दलितो नेता बाबू जगजीवनराम द्वारा जब बनारस में सम्पूर्णानन्द की मूर्ति का अनावरण करने के बाद लौटे तो बाद में उसे मंत्रोच्चारण के साथ दूध से धोकर पवित्र किया गया। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के बने नये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने अपने उस मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री निवास को पंचगव्य से धुलवाया और मंत्रों उच्चारण के साथ और अछूतों के लिए धर्म स्थलों, मंदिरों, कुम्भ मेलों में जाना इनके लिए प्रतिबंध था, तब इन वर्गों में हिन्दुओं के धर्म के प्रति घृणा और उदासीनता थी। बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर और उनके अनुयायियों ने आधी शताब्दी तक हिन्दुओं के धर्म स्थलों में आने—जाने का संघर्ष किया, खून—पसीना बहाया और स्वतंत्रता के साथ संवैधानिक प्रावधान बनाए गए तब जाकर इन्हें सार्वजनिक धर्म स्थानों पर प्रवेश के अधिकार मिले। आज भी कुछ निजी संचालित धर्म स्थानों में अछूतों, शूद्रों स्त्रियों और गैर हिन्दुओं के ऊपर प्रवेश का प्रतिबंध लगा हुआ है।

भारत में एक मोटे आकलन के अनुसार साढ़े छः हजार प्रकार की विभिन्न प्रकार की पिछड़ी व दलित जातियां, उपजातियां हैं। प्रत्येक जाति में हिन्दुओं की नकल करने की धार्मिक और सामाजिक स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं और ये एक से बढ़कर एक दूसरे से प्रतिस्पर्द्धा करते हैं। प्रत्येक जाति में उनके संत और महंत हैं। अब तो इन जातियों के लोग धर्म आचार्य, महामण्डलेश्वर पीठाधीश्वर और जगत् गुरू शंकराचार्य भी बनने लगे हैं। जातिगत चंदा और दान से उन दलितों पिछड़ों ने अपने मंदिर, मठ, आश्रम भी बना लिए हैं। राज्य सरकारें भी मत हड़पने के लिए अपने—दलितों में धर्म करम करने वाले गांव—मौहल्लों में लाखों की संख्या में ध्वल, पीत, केसरिया, भगवाधारी, मांग खांऊ, तंत्र मंत्र, उपदेशक, लूट खसोट करने

सम्पादकीय का शेष...काश! दलितों को दो वोटों का अधिकार मिल जाता

तक चलेगा जब तक दलित अछूत समाज में समान स्तर पर नहीं आ जाते। बाबा साहब डा. अम्बेडकर और गांधी जी ने इस 'करारनामा' पर सहमति जताने के बाद गांधी जी ने अपना आमरण अनशन तोड़ दिया, वहीं बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने अंग्रेजी सरकार द्वारा अछूत दलितों को दिये 'कम्युनल अवार्ड' को छोड़ दिये जाने की घोषणा की। गांधी जी व डा. अम्बेडकर के बीच हुए इस करारनामा को 'पूना पैक्ट' का नाम दिया गया। आज कुछ लोग दलितों को मिले आरक्षण कोटे के अधिकार का विरोध कर रहे हैं। वह 1932 के उस 'पूना पैक्ट' को भूल जाते हैं जो गांधी जी और डा. अम्बेडकर के बीच हुआ था और जिसके तहत गांधी जी के प्राण बचाने के लिए बाबा साहब डा. अम्बेडकर को दलितों को अंग्रेजी सरकार द्वारा दिये दो वोटों के अधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अधिकार को छोड़ देने की एवज में दिया यह वर्तमान दलितों (अछूत) के आरक्षण कोटा है। यह दलितों की कुरबानी का फल है, कोई सरकारी भीख नहीं है और यह तब तक चलेगा जब तक वे समाज, सत्ता, शासन–प्रशासन, शैक्षणिक, न्यायिक संस्थानों में अन्यों के बराबर नहीं आ जाते।

अब प्रश्न उठता है कि क्या गांधी जी और डॉ. अम्बेडकर के बीच हुए 'पूना पैक्ट' के प्रावधानों को पूरी तरह लागू किया गया? क्या गांधी जी अछूत–दलितों को हिन्दू समाज और हिन्दू धर्म में बराबरी का दर्जा दिला सके? क्या भारतीय संविधान में डॉ. अम्बेडकर द्वारा अछूत–दलितों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) को उनकी आबादी के अनुपात में तय 15 फीसदी व साढ़े सात फीसदी यानी 22½ फीसदी निर्धारित आरक्षण कोटा की पूर्ति हो सकी?

जहां तक पूना पैक्ट के प्रावधानों का प्रश्न है, उन पर पूरी तरह से अमल नहीं किया गया। निर्वाचन में अछूत–दलितों की आरक्षित सीटें तो जरूर बढ़ा दी गईं, पर सवर्ण पार्टियों द्वारा खड़े किये गये दलित प्रतिनिधियों में से ही किसी एक को चुनने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उस दलित प्रतिनिधि की जीत का दारोमदार अब निर्णायक सवर्णों का वोट हो गया था। अब चुनाव में जीतकर दलित उम्मीदवार अपने को दलितों की अपेक्षा सवर्णों का ही प्रतिनिधि मानता था जिनके वोटों से वह जीतकर आया था। ऐसे में दलित आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र होते हुए भी अपने किसी सक्षम उम्मीदवार को प्रतिनिधि नहीं बना सकते थे, जो सरकार में जाकर उनकी पैरवी करे और उनको आरक्षित कोटे की सुविधायें दिलवाये।

गांधी जी का कहना था कि जब सवर्ण हिन्दुओं का हृदय परिवर्तन हो जायेगा, तब स्वयं ही छुआछूत, ऊंच–नीच, भेदभाव हिन्दू समाज से मिट जायेगा और अछूतों (हरिजनों) को बराबरी का सम्मान मिलने लगेगा। हिन्दुओं के हृदय–परिवर्तन के लिए उन्होंने 'हरिजन सेवक संघ' संस्था स्थापित की जहां सवर्ण और अछूत मिलकर कार्य कर सकें और इस तरह हरिजनों के प्रति ऊंची–नीच के भेदभाव मिट सकें। गांधी जी ने 'हरिजन' नामक समाचार पत्र भी शुरू किया जिसमें अछूतों (हरिजनों) के साथ होने वाली छुआछूत, अपमान, तिरस्कार, अत्याचार को रोकने सम्बन्धी सामग्री छापी जाती थी। गांधी जी ने हरिजनों को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए स्वयं हरिजन बस्ती में रहना शुरू किया। हरिजन सवर्ण सहभोज शुरू किये। छुआछूत निवारण को गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में शामिल कराया, पर इन सबका सवर्ण हिन्दुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दलितों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) के आरक्षित कोटे को भी सवर्ण हिन्दुओं की बदनियति के कारण आजादी के 70 सालों में अब तक पूरी तरह भरा नहीं जा सका। सवर्ण हिन्दुओं का अछूतों (दलितों) के प्रति हृदय परिवर्तन कराने में गांधी जी पूरी तरह फेल हुए। गांधी जी की अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदत्त 'कम्युनल अवार्ड' के अधिकारों को दलितों के 'पूना पैक्ट' के नाम पर छले जाने से बाबा साहब डा. अम्बेडकर बहुत रूष्ट थे। गांधी जी के सवर्ण हिन्दुओं के हृदय परिवर्तन के प्रयास को भी वह ढोंग मानते थे। उनका मानना था कि हिन्दू समाज में जब तक वर्ण व्यवस्था और जात–पांत, भेदभाव है, अछूतों को कभी भी उनके समता, स्वतंत्रता, बन्धुता, न्याय के अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। इसी लिए डॉ. अम्बेडकर ने 1935 में येवला (महाराष्ट्र) के अछूत महासम्मेलन में घोषणा की थी–''हिन्दू धर्म में जन्म लेना मेरी मजबूरी थी, पर मैं हिन्दू रहकर नहीं मरूंगा, यह मेरे हाथ में है।'' डॉ. अम्बेडकर ने अपने परिनिर्वाण (6 दिसम्बर, 1956) से पहले 14 अक्तूबर, 1956 को अशोक विजय दशमी के दिन नागपुर की दीक्षा भूमि में अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर येवला की महासभा में लिए संकल्प को पूरा किया। और इस तरह उन्होंने उस हिन्दू धर्म को ठोकर मार दी जिसे बचाने के लिए गांधी जी ने दलितों के समग्र विकास के लिए अंग्रेजी सरकार द्वारा मिले दो वोटों के विशेष अधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अधिकारों को अपने आमरण अनशन की आड़ में खत्म करा दिया था। काश! कम्यनुल अवार्ड में मिले दलितों के विशेष अधिकारों का गांधी जी विरोध नहीं करते तो दलित समाज हिन्दू सवर्ण समाज से कहीं आगे निकल गया होता। वह अपने दो वोटों की ताकत से सत्ता, शासन, शिक्षा और धन–दौलत व सम्पदा में अग्रणीय होता।•

– डा. सोहनपाल सुमनाक्षर

पवित्र करवाया जहां कभी पूर्व मुख्यमंत्री दलित मायावती कभी बैठती थी या उस बंगले में रहती थी। यह कोई अतीत की बात नहीं, इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक की बात है। जीतनराम मांझी के मुद्दे पर रांची के पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने साफ कहा कि दलितों को मंदिरों में नहीं जाना चाहिए। यह शास्त्र सम्मत बात है और यही बात उन्होंने इसी जुलाई (2018) के प्रथम सप्ताह में कही।

दलित, पाखंड पर धन लुटाते हैं

आजादी के इकहतर साल के बाद पहली दफा ऐसा वक्त और माहौल सुनने और देखने में आ रहा है कि दलित खुलेआम धरम–करम कर रहा है, पैसे लुटा रहा है और इसी बूते पर वह हिन्दुओं की मुख्यधारा से जुड़ जाने की गलतफहमी पाले बैठा है। भारत में हरेक जिले में तीर्थ यात्रा कराने के लिए बसों से आने–जाने और खाना खिलाने तथा धर्मशालाओं में ठहराये जाने का पैकेज देकर धार्मिक यात्राएं कराई जाती है। अतीत में शूद्रों वाले मिल जायेंगे। बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर ने दलितों–शूद्रों को हिन्दू धर्म के मिथ्या जाल से छुटकारा पाने के लिए 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई कि मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को ईश्वर का अवतार नहीं मानूंगा। मैं राम, कृष्ण, शिव को भगवान नहीं मानूंगा। मैं लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा आदि को देवी–देवता नहीं मानूंगा आदि, पाखंडियों से मुक्ति की राह बताई थी।

दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े समुदाय जो इस देश में सत्तर–अस्सी फीसदी हैं, सवर्णों से यह समझौता करते दिख रहे हैं कि उसका शोषण और अपमान जाति के नाम पर भले ही हो, पर हिन्दुओं के धार्मिक उत्सवों पर उन्हें प्रताड़ित न किया जाए। इस बात के लिए वे पैसा चढ़ा रहे हैं। वे दरअसल सामाजिक दुत्कार से बचना चाह रहे हैं। व्यवस्था यह कर दी गई है कि अगर हिन्दुइज्म से बचना है तो रास्ता धर्म से होकर ही जाएगा, किसी संविधान, लोकतंत्र या गणतंत्र से नहीं।•

डॉ. अम्बेडकर सबसे बड़े अहिंसक थे–ओशो

लोग सोचते हैं कि महात्मा गांधी ने बुद्ध और महावीर के आगे कदम उठा लिया। गलत बात है। उन्होंने बुद्ध और महावीर की बड़ी क्रान्ति पर पानी फेर दिया। अहिंसा को भी लड़ने की विधि बना ली, जैसे कि लड़ने की विधि का ही मूल्य है जगत में। सब चीजें लड़ने की विधियां हैं–प्रेम भी लड़ने का ही एक उपाय है। प्रेम भी करो तो इसलिए कि जीत सको। अहिंसा भी इसीलिए ताकि दूसरे को दबा सको।

एक आदमी अगर तुम्हारे घर के सामने उपवास करने बैठ जाता है कि मैं मर जाऊंगा अगर मेरी न मानी, तो तुम सोचते हो यह अहिंसा है? अगर मेरी न मानी तो मैं मर जाऊंगा। यह तो हिंसा है, यह तो सीधी धमकी है। यह तो ब्लैकमेल है। यह आदमी तो साफ धमकी दे रहा है, कह रहा है, याद रखो, जिन्दगी भर फिर पछताओगे, तुमने ही मुझे मारा।

इसी पूना में यह घटना घटी–महात्मा गांधी ने उपवास किया। डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि शूद्रों को, हरिजनों को अलग अधिकार प्राप्त हो जाए। काश, डॉ. अम्बेडकर जीत गये होते तो जो बदतमीजी सारे देश में हो रही है वह नहीं होती। अम्बेडकर ठीक कहते थे कि जिन हिन्दुओं ने इतने दिनों तक शूद्रों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया उनके साथ हम क्यों रहें, क्या प्रयोजन है? जिनके मन्दिरों में हम प्रविष्ट नहीं हो सके, जिन पर हमारी छाया पड़ जाये तो वे अपवित्र हो जाते हैं उनके साथ हमारे होने का अर्थ क्या है? उन्होंने तो हमें स्थान ही नहीं दिया है, हम क्यों उन्हें पकड़े रहे?

यह बात इतनी सीधी–साफ हे, इसमें दो मत नहीं हो सकते। लेकिन महात्मा गांधी ने उपवास कर दियां वे अहिंसक थे, उन्होंने अहिंसा का युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने उपवास कर दिया कि मैं मर जाऊंगा, अनशन कर दूंगा। यह तो बड़ी संघातक हानि हो जाएगी हिन्दुओं की। हरिजन तो हिन्दू हैं और हिन्दू ही रहेंगे। उनका लम्बा उपवास, उनका गिरता स्वास्थ्य देखकर अम्बेडकर को अन्ततः झुक जाना पड़ा। अम्बेडकर राजी हो गये कि ठीक है, मत दे अलग अधिकार। और इसको गांधीवादी इतिहासज्ञ लिखते हैं–अहिंसा की विजय। अब यह बड़ी हैरानी की बात है इसमें अहिंसक कौन है? अम्बेडकर अहिंसक है। यह देखकर कि गांधी मर न जाये, उन्होंने अपनी जिद छोड़ दी। इसमें गांधी हिंसक है। उन्होंने अम्बेडकर को मजबूर किया, धमकी देकर कि मैं मर जाऊंगा।

इसको थोड़ा समझना। अगर तुम दूसरे को मारने की धमकी दी तो यह हिंसा, और खुद को मारने की धमकी दी तो यह अहिंसा, इसमें भेद कहां है? एक आदमी अपनी छाती पर छुरा रख लेता है और कहता है निकालो जो कुछ जेब में है, अन्यथा मैं मार दूंगा छुरा। तुम सोचने लगते हो कि दो रुपये जेब में हैं, इसके पीछे इस आदमी का मरना... भला चंगा आदमी है, एक जीवन का खो जाना... तुम दो रुपये निकाल कर दे दोगे कि भइया, तू ले ले और जा। दो रुपये के पीछे जान मत ले। इसमें कौन अहिंसक है?

मैं तुमसे कहता हूं डॉ. अम्बेडकर अहिंसक है, गांधी नहीं। मगर कौन इसे देखे, कैसे इसके समझा जाये? इसमें लगता ऐसे है जैसे अहिंसा की विजय हो गयी, मगर वास्तव में अहिंसा हार गयी, इसमें हिंसा की विजय हो गयी। गांधी हिंसक व्यवहार कर रहे हैं। जो तर्क नहीं दे सकता वह इस तरह के व्यवहार करता है।

गांधी का स्त्रैण हिंसा को अहिंसा कहने का कोई कारण नहीं है। सिर्फ स्त्रैण हिंसा है, सिर्फ कमजोर किस्म की हिंसा है। एक ताकतवर की हिंसा एक कमजोर की हिंसा, मगर इसमें अहिंसा कोई भी नहीं है। बुद्ध और महावीर की अहिंसा का राज कुछ और ही है। उनकी अहिंसा की बात ही अलग है।

चालीस साल से भारत के नेता धोखे पर धोखा खा रहे हैं। ये सपनों के सौदागर हैं। तुम्हें सपने देते हैं, तुमसे नकद वोट लेते हैं। सपने कभी पूरे नहीं होते। और पांच साल में तुम भूल जाते हो। फिर नये सपनों के सौदागर खड़े हो जाते हैं। वे तुम्हें नये सपने दे देते हैं। और तुम फिर आशा करने लगते हो कि जो कल तक नहीं हुआ, शायद आज हो जाए।

लेकिन ये सौदागर जो सपने तुम्हें बेचते हैं, जो वायदे तुमसे करते हैं–सब इनके वोट मांगने के खेल हैं ये लोग 'गरीबी हटाओ' का नारा देते हैं क्योंकि इन्हें गरीबों के वोट चाहिए। ये समाजवाद की बात करते हैं क्योंकि इन्हें मजदूरों को खुश करना है। ये हरिजनों के अधिकारों पर चर्चा करते हैं क्योंकि हरिजनों के वोट बड़ी संख्या में हैं।

अभी भी हरिजनों के साथ वही व्यवहार हो रहा है, जो पांच हजार साल पहले होता था। और झूठ ऐसा हमारी आत्माओं में घुसा है कि साधारण आदमी को हम छोड़ दें, साधारण आदमी की मैं बात ही नहीं करता–महात्मा गांधी का यह निरन्तर कहना था कि भारत का पहला राष्ट्रपति एक औरत की जान पर बन आयी। लोग उसकी गरदन दबाने लगे कि तुम माफी मांगो महात्मा गांधी से और कहो कि हम अलग देश या अलग होने की मांग नहीं करेंगे। उसकी मांग जायज थी। लेकिन यहां जायज और नाजायज की कौन फिकर करता है। और अम्बेडकर को भी लगा कि अगर महात्मा गांधी मर गये...तो मैं मर जाऊं यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस देश में हजिरनों को जलाकर खाक कर दिया जायेगा–एक कोने से दूसरे कोने तक। उनके झोपड़ों में आग लगा जायेगी, उनकी स्त्रियों पर बलात्कार होंगे, गांधी के मरने का बदला लिया जायेगा। यह बात ही खत्म हो गयी कि वह जो कह रहा था, ठीक कह रहा था या गलत कह रहा था–यह बात का रूख ही बदल गया।

मामला यह हो गया कि इतने हरिजनों को इतने उपद्रव में डालना उचित है या नहीं। यूं ही बेचारे बहुत परेशान रहे हैं। अब और यह आखिरी परेशानी है। तो अम्बेडकर खुद ही संतरे का रस लेकर हाजिर हो गये, माफी भी मांग ली–जानते हुए कि यह आदमी धोखा दे रहा है हजिरनों को, यह आदमी इस देश को धोखा दे रहा है। लेकिन हरिजनों को न तो अलग होने का हक है, न अलग मताधिकार

पृष्ठ 1 का शेष....मूल निवासियों ने बनाया था भारत को सोने की चिड़िया

कामना करता हूं कि वे स्वस्थ रहें और देश के दलित–शोषितों को गुलामी, बेइज्जती, अपमान से छुटकारा दिलाने के लिए निरन्तर दिशा देते रहेंगे।

अपने स्वागत में आयोजित स्वागत समारोह के आयोजकों का धन्यवाद करते हुए अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. सोहनपाल सुमनाक्षर ने कहा कि हमारी लड़ाई देश में रोटी के लिए नहीं है। हमारी लड़ाई सम्मान के लिए है, समता के लिए है, भारतीय संविधान में दिये स्वतंत्रता, समता, बन्धुता और सामाजिक न्याय के अधिकार के लिए है। हमारे पूर्वज भूखे–प्यासे रहकर सवर्णों की जूठन खाकर, उनकी फटी पुरानी उतरन पहनकर, धरती पर नीचे घासफूंस बिछाकर सोकर अपना जीवन यापन करते रहे, पर अपनी धन–धरती, सम्मान के लिए निरन्तर संघर्ष करते रहे। हजारों सालों तक चले इस संघर्ष का वर्णन हम विदेशी आर्यों के धर्मग्रन्थों में आज भी देख पाते हैं। हम इस देश के मूल निवासी हैं यह दलितों के डी. एन.ए. से साबित हो गया है। वहीं आर्यों के डी.एन.ए. से भी यह साबित हो गया है कि वे विदेशी हैं जो यूरो–एशिया से भारत में आक्रमणकर्त्ता के रूप में आये और यहां के मूल निवासियों का षड्यंत्र रचकर धोखे से परास्त करके उनकी धन–धरती पर काबिज हो गये और यहां के मूल निवासियों को दास, दस्यु, राक्षस, दानव, नाककटा कहकर अपमानित किया और उनकी महिलाओं को दास–दासी बनाकर उनके साथ बलात्कार करके उनका उपभोग करते रहे। उन्होंने मूल निवासियों को दास बनाकर सत्ता, सम्पदा और धन दौलत से विहीन कर उनके लिए शास्त्र, शस्त्र पर पाबंदी लगाकर सदैव के लिए शिक्षा से वंचित कर दिया। इसे उन्होंने शास्त्र सम्मत बताते हुए कहा–''स्त्रीशूद्रोनाधीयताम्'' यानी स्त्री और शूद्र को शिक्षा देने का निषेध है। इस तरह शिक्षा से वंचित होकर यहां मूल निवासी शूद्र (दलित) विवेकहीन हो गये और उनके शास्त्रों को सच मानकर भाग्य–भगवान, पिछले जन्म के पाप–पुण्य, धर्म–कर्म के झूठे सिद्धांतों को सच मान लिया। इसके विरुद्ध सबसे पहले भगवान बुद्ध ने आर्यों के इस मायाजाल को झूठा बताते हुए सब इंसान एक समान का नारा दिया और शिक्षा प्राप्ति के लिए अपने बौद्ध विहारों के द्वार सभी लोगों के लिए खोल दिये। इससे नाराज होकर ब्राह्मण आर्यों ने बुद्ध धर्म के खिलाफ षड्यंत्र रचा और इसे भारत की धरती से पूरी तरह नष्ट कर दिया। इसके बाद आर्यों ने वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत पुनः मूल निवासियों को बन्धक बना लिया और उन पर कठोर नियम लाद दिये। सहरपा, सिद्ध, नाथ, योगी सम्प्रदायों के द्वारा मूल निवासियों को दासता से छुड़ाने के निरन्तर प्रयास चलते रहे। मध्यकाल में संत गुरु रविदास, संत कबीर, नामदेव, नानक, महात्मा जोतिबा फुले, नारायण गुरु, स्वामी अछूतानन्द, रामास्वामी पेरियार आदि संतों, महात्माओं और समाज सुधारकों के प्रयासों से इस देश के दलितों में समानता की भावना जगी और वे अपने को मूल निवासी होने का अहसास करने लगे। बाबा साहब डा. अम्बेडकर और बाबू जगजीवनराम ने दलितों को उनका प्राचीन गौरवमयी इतिहास से परिचय कराया और आर्यों की दासता से छुटकारा पाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। आज उन्हीं की बदौलत स्वतंत्रता, समता, न्याय, बन्धुता के संवैधानिक अधिकार पाकर इस देश के मूल निवासी हम अपने गौरवमयी इतिहास को लौटाने के लिए लालायित है।

भारतीय दलित साहित्य अकादमी ने गत 34 वर्षों में देश के दलितों के अन्दर स्वाभिमान जगाया है, मूल निवासियों के प्राचीन इतिहास, कला, संस्कृति, भाषा, धर्म, साहित्य से अवगत कराया है। जिन मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित कर दिया था आज वे लेखनी उठाकर दलित साहित्य की रचना कर रहे हैं। आज वे खुलकर बोल रहे हैं कि वे इस देश के मूल निवासी हैं और अब कोई भी उन्हें दोयम दर्जे का बनाकर नहीं रख सकता। आज विद्या का उनका तीसरा नेत्र खुल गया है, अब तक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, पाली बंगा, धोलवीरा की खुदाई से जो सभ्यता व शहर निकले हैं उनसे साबित हो गया कि ये धरोहर यहां के मूलनिवासी दलितों की है जिनको विदेशी आर्यों ने धोखे से परास्त करके उन पर जबरन कब्जा कर लिया था। आर्यों के ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में इस घटना का पूरा विवरण दिया गया है। जहां कहा गया है कि आर्यों व अनार्यों के बीच अपनी खोई धरती पाने के लिए यह संघर्ष हजारों साल तक चलता रहा।

भारतीय दलित साहित्य अकादमी दलित साहित्य व अपने जन चेतना कार्यक्रम के द्वारा देश के दलितों को अपने खोये अधिकारों को पाने और उनके अन्दर स्वाभिमान जगाने के लिए निरन्तर अग्रसर है। •

होगी और हरिजन औरत होगी। न तो डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद औरत थे, जहां तक मैं समझता हूं, और न ही हरिजन थे–और गांधी ने ही उनको चुना। क्या हुआ उन पुराने वायदों का? कहां गयी वे ऊंची–ऊंची बातें? जो जहर तुमने हरिजनों को पिलाया, वह कहां गया?

वह भी सब राजनीति थी। क्योंकि घबराहट भी वही थी अम्बेडकर के नेतृत्व में हरिजन भी अलग हो जाना चाहते थे। अगर मुसलमान अपना देश अलग मांग रहे हैं और उनकी मांग जायज समझी जा रही है और हिन्दू अपना देश अलग मांग रहे हैं, तो हरिजन जो कि हिन्दुओं का चौथा हिस्सा हैं...और हजारों साल से सताये गये लोग हैं। इस दुनिया में उनसे ज्यादा सताया गया और कोई भी नहीं है–अगर वे भी चाहे कि हमें अपना अलग देश दे दो, तो गांधी उपवास पर बैठ गये। आमरण उपवास, आमरण उपवास एक का भी नहीं हुआ क्योंकि मरने के पहले ही संतरे का रस–उस सबको आयोजन पहले से होता है। डॉक्टर जांच कर रहे हैं।

और सारे देश में उथल–पुथल कि महात्मा गांधी कहीं मर न जाये–बात का रूख ही बदल दिया। हरिजनों की तो बात ही समाप्त हो गयी। अम्बेडकर का हक है। उतनी छोटी सी मांग थी कि या तो अलग देश दो या कम से कम अलग मताधिकार दे दो, ताकि इनकी आवाज भी तुम्हारी संसद में पहुंच सके कि इन पर क्या गुजरती है–इसकी खबर भी नहीं छपती, इसकी खबर भी तुम तक नहीं पहुंचती। और आश्वासन दिया है गांधी ने कहा कि चिन्ता न करो, पहला राष्ट्रपति हरिजन होगा। और केवल हरिजन, बल्कि स्त्री। क्योंकि स्त्री को भी बहुत सताया गया है। हरिजन को भी बहुत सताया गया है। स्वतंत्रता में यह सब न चलेगा।

स्वतंत्रता भी आ गई–न कोई हरिजन, न कोई स्त्री। स्वतंत्रता आ गयी और करोड़ों लोग मरते–कटते रहे। न मालूम कितने हरिजनों के घर रोज जल जाते थे, न मालूम कितनी स्त्रियों की इज्जत रोज चली जाती है, कितने लोगों की जानें चली जाती हैं।

ये लफफाजियों और कितने रोज चलाओगे? हरिजनों के अधिकारों की बात करते हो तो क्यों उनको अलग मताधिकार नहीं देते, ताकि ये सताए गए लोग भी अपनी व्यथा को संसद में रख सकें। क्यों उनके लिए अलग से मताधिकार आरक्षित नहीं किए गए? और कब वह वायदा पूरा होगा जो गांधी ने हरिजनों से किया था? •

हिमायती
4 / जनवरी (द्वितीय), 2019 (कुल पृष्ठ 4)
पोस्टल डिस्पेच तिथि : 16-17 जनवरी, 2019

आर. एन. आई. नं. 40611/62
रजि. G-3/DL(N)/090/2018-2020
प्रकाशन तिथि : 14 जनवरी, 2019

जातिभेद के कारण बिछड़ी एवं पिछड़ी जातियों का उत्थान-पतन

• आर.बी. सुमन

आम तौर पर दलित शब्द का प्रयोग अनु.जाति/जनजातियों के संबोधन में किया जाता है, यह अत्यन्त सीमित एवं संकुचित अर्थ है। ''शब्द कोश'' में दलित शब्द का अर्थ–दला गया, दबाया गया, कुचला गया है। इस प्रकार–वह सम्पूर्ण मानव समाज जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक दृष्टि से शारीरिक एवं मानसिक तौर पर दला, दबाया, कुचला गया है। जो पग–पग पर पीड़ित, मर्दित, शोषित, पीड़ित और प्रताड़ित हुआ है, दलित शब्द की परिधि में आता है। इस विस्तृत अर्थ के अन्दर न सिर्फ अनु. जाति, जनजाति आते हैं, बल्कि सम्पूर्ण पिछड़ा समाज, नारी समाज तथा वे अल्पसंख्यक जो इन वर्गों से जातिभेद के कारण प्रताड़ित होकर बौद्ध, सिख, मुसलमान तथा ईसाई हो गए हैं, भी आते हैं। और दलित साहित्य इन्हीं दबे, कुचले, शोषित, पीड़ित प्रताड़ित स्त्री–शूद्रों की करुण दास्तान का दस्तावेज है।

यहां यह बताना आवश्यक है कि अनुसूचित जाति–जनजातियों के अतिरिक्त अन्य पिछड़ी जातियों के प्रधान देवता इन्द्र ने नाग संस्कृति के शंषर, शुष्ण, बल, अर्बुद आदि के साथ घोर युद्ध कर छद्म से पराजित किया। इस भयानक युद्ध में कुछ मूलनिवासियों ने भय एवं लोभवश आत्म समर्पण कर दिया, कुछ प्राण बचाकर खोह, कंदराओं में जा छिपे और जो वीर अंत तक लड़ते रहे वे या तो मारे गए अथवा जीवित पकड़कर काल कोठरी में कैद कर लिए गए। वर्ण–व्यवस्था के निर्माण के समय हारे हुए इन सभी मूलनिवासियों तथा उनकी संतानों को शूद्र वर्ण में शामिल कर मोटे तौर पर सछूत, एवं जरायम पेशा जातियां तीन वर्गों में विभाजित कर सेवा के दुष्कर दायित्व सौंपे गए। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो जिनता वीर रहा, जिसने जितना संघर्ष किया उसके प्रति उतनी ही घृणा और दुश्मनीवश उसे उतने ही नीचे की श्रेणी में रखकर उतने ही कठिन एवं घृणास्पद कार्य सौंपे गए। इस प्रकार मूलनिवासयों के इस विशाल समुदाय को असंख्य जातियों, उप–जातियों में विभाजित कर ऊंच–नीच एवं छुआछूत की परम्परा कायम की गई। कालांतर में ये अपने इतिहास और संस्कृति को भूल गए तथा शूद्र का केवल एक ही धर्म–सब की सेवा करना।''

तैत्तिरेय ब्राह्मण (1,2,6,7) के अनुसार– ब्राह्मण की उत्पत्ति देवताओं के और शूद्र की असुरों से हुई। दूसरे स्थान पर वर्णन है कि शूद्र शून्य से पैदा हुआ। इस प्रकार इन अवैज्ञानिक एवं अप्राकृतिक वर्णनों से सिद्ध है कि यह चातुर्वर्ण्य मानवकृत है, ईश्वरीय नहीं है।

मनुस्मृति आदि जो हिन्दू समाज की आचार संहिता है, सामाजिक व्यवस्था की नियमावली एवं दण्ड विधान है, में इन बिछड़ी जातियों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिणक, राजनीतिक स्थिति गिराने की पुरजोर कोशिश की गई। कुछ उदाहरण देखें–

ऐतरेय ब्राह्मण (7,29,4) तथा पंचविष (6,1,11) के अनुसार–शूद्र केवल सेवक हैं, इसके अतिरिक्त उसे कोई अधिकार नहीं।

मनुस्मृति (8,14,17) के अनुसार– ''शूद्र ब्राह्मण शूद्र की सम्पत्ति को बिना संकोच ले सकता है, क्योंकि वह किसी सम्पत्ति का मालिक नहीं।''

मनुस्मृति (10,129) में लिखा है–''वास्तव में शूद्र को सम्पत्ति इकट्ठा

मनुस्मृति (8/33)–''ब्राह्मण दुश्चरित्र हो तब भी पूज्य है और शूद्र जितेन्द्रिय होने पर भी पूज्य नहीं है।''

रामचरित मानस–''पूजिय विप्र ज्ञान गुण हीना, शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीना।''

इस प्रकार स्मृतियों के कानून परंपरा और परिपाटी के रूप में आज भी प्रचलित हैं। मनु मर गए, मनुस्मृति जल गई, भारत में नया संविधान लागू है, फिर भी मनुस्मृति के कानून भारत के हर गांव में जीवित हैं। क्योंकि इन्हें ईश्वरीय और धार्मिक मान्यता दी गई है तथा बहस या तर्क करने वालों को अधार्मिक एवं नास्तिक कहा गया है। इसके लिए आज का हिन्दू समाज दोषी नहीं है। इस घृणित व्यवस्था से वे भी क्षुब्ध हैं, पूर्वजों ने इसे कायम किया था।

सामाजिक क्रांति का उद्घोष करने वाले महामानव गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम समता, स्वतंत्रता, न्याय एवं भाईचारे का संदेश देकर सुणीत जैसे दलितों तथा अम्बपाली जैसी गणिकाओं को भी पूज्य एवं गणमान्य बना दिया। सामाजिक समरसता के कार्य पर चण्ड अशोक जन–जन के हृदय सम्राट हिन्दू मठाधीशों को यह रास नहीं आया कि एक दलित उनके धर्म में सुधार करे। उन्होंने कहा डॉ. अम्बेडकर! हम नहीं सुधरेंगे, हमारे धर्म में दखल मत दो। हम आक्रमणकारियों के वंशज हैं। हम मानवता द्रोही मनुवादियों की संतानें हैं। हम अन्याय, अत्याचार, आतंकवाद के पुजारी हैं। हम आदर्श मानव नहीं बनना चाहते। मजे की बात देखिए कि जिस दलित नारी को वे दासता से मुक्त करना चाहते थे, समानता के अधिकार दिलाना चाहते थे, उसी अबोध नारी से विरोध कराया गया। नारियों ने कहा–अम्बेडकर! हमें जुल्म सहने दो, घुट–घुटकर मरने तथा मर मरकर जीने दो, हम इसी हाल में खुशहाल हैं। हमारे घरों में फूट मत डालो! हम पैरों की जूती कहलाने में गौरव का अनुभव करती हैं, आदि।

आप देखें कि डॉ. अम्बेडकर के बाद उस हिन्दू कोड बिल के कुछ छुट–पुट विधेयक पारित भी हुए। महिला कल्याण का कार्य आज भी अधर में लटका हुआ है। नारी वर्ग को जो कुछ भी मिल सका, वह डॉ. अम्बेडकर और

लोग अपने को दलित नहीं मानते। इसके तीन कारण हैं–एक तो ये आने अतीत से अनभिज्ञ हैं। दूसरे, सीढ़ीनुमा जातीय व्यवस्था में अछूतों से ऊंचे पायदान पर हैं, तथा तीसरे ये सछूत शूद्र होने से अछूतों जैसे तिरस्कृत नहीं हैं। सवर्णों के घर के अंदर तक छूकर सेवा कार्य कर सकते हैं, इसलिए इन्हें अन्याय, अत्याचार, गुलामी एवं भेदभाव का अहसास ही नहीं होता है।

इन दलित वर्गों का अतीत अत्यंत गौरवशाली रहा है। अतीत काल में ये शासक वर्गों से संबंधित जातियां रही हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ों की खुदाई से ज्ञात, जिसे सिन्धु घाटी की सभ्यता थी। इतिहासकारों ने इसे विश्व की प्राचीन एवं श्रेष्ठ सभ्यता सिद्ध किया है। इनके जीवन में आए उतार–चढ़ाव की जानकारी पुरातत्व, प्रागैतिहास, इतिहास, वैदिक एवं पौराणिक साहित्य से प्राप्त की जा सकती है।

ज्ञात इतिहास में आर्यों के आगमन (2500 ई.पू.) के बाद से ही इन वर्गों के पूर्वजों–मूलनिवासी द्रविडों–दास, दस्यु, नागों जिन्हें वे अनार्य, दैत्य, दानव, राक्षस आदि कहकर तिरस्कृत करते थे, से जो संघर्ष आरंभ हुआ वह अनंत काल तक चलता रहा। प्रागैतिहासिक काल में हुए आर्य–अनार्य के इस युद्ध के संकेत वैदिक साहित्य में देखे जा सकते हैं। वैदिक काल के तथा एक दूसरे से बिछड़ कर अन्याय, अत्याचार एवं शोषण का शिकार हो पशुवत जीने–मरने लगे। चातुर्वर्ण्य का निर्माण वैदिक काल के उपरांत हुआ, किन्तु इसे वेद सम्मत एवं ईश्वरीय सिद्ध करने के कुटिल षड्यंत्र वश बाद में वेदों में जोड़ दिया गया। यह प्रो. मैक्समूलर, प्रो. बेवर, कोलब्रुज इत्यादि अनेक विद्वानों के द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है। प्रथमतः चातुर्वर्ण्य का जिक्र ऋग्वेद के पुरुष सूक्त नामक 10वें मण्डल में प्रश्नोत्तर शैली में इस प्रकार हुआ–''जब देवताओं ने उस पुरुष को विभाजित किया तो उसका मुख क्या था? उसके हाथ क्या थे? उदर क्या था? तथा उसके दो जानू (पैर) क्या थे? ब्राह्मण उसका मुख क्षत्रिय उसके हाथ, वैश्य उसका उदर तथा शूद्र उसके पैर थे।'' पौराणिक काल में पुराणों, स्मृतियों, ब्राह्मण ग्रंथों में जो वर्णन आए उसके अनुसार ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण, भुजा के क्षत्रिय, उदर से वैश्य तथा पांवों से शूद्र पैदा हुए।

मनुस्मृति (1,87,91) के अनुसार– ईश्वर ने ब्राह्मण का धर्म पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना तथा दान लेना निश्चित किया है। क्षत्रिय का धर्म दानदेना, यज्ञ करना, ब्राह्मण की रक्षा करना तथा विरक्त रहना। वैश्य का धर्म–व्यापार, पशुपालन व खेती करना ही नहीं करना चाहिए क्योंकि शूद्र को सम्पत्ति इकट्ठा करते देख ब्राह्मण को डाह उत्पन्न होती है।''

मनुस्मृति (10,96) के अनुसार– ''नीची जाति का व्यक्ति यदि लोभ वश ऊंची जाति की आजीविका अपना ले तो राजा उसका सर्वस्व छीनकर देश से निकाल दे।''

विष्णु स्मृति (27/6,9) के अनुसार– ''ब्राह्मण का नाम मंगलकारी, क्षत्रिय का बलशाली, वैश्य का धनशाली तथा शूद्र का नाम घृणा व्यंजक होना चाहिए।

गौतम धर्मसूत्र–''यदि शूद्र वेद मंत्र सुनें तो उसके कान में पिघला हुआ लोहा डाल दे, यदि उच्चारण करें तो जीभ काट ली जाए और यदि वेद मंत्र स्मरण करे तो उसके टुकड़े कर दिए जाएं।''

नारद स्मृति (8/412, 414) में लिखा है कि ''यदि कोई शूद्र ब्राह्मण को दोष लगावे तो राजा को चाहिए कि उसकी जीभ काटकर सूली पर चढ़ा दे।''

मनुस्मृति (8,21)– ''जिस राज्य में शूद्र न्यायाधीश होता है, वह राज्य कीचड़ में फंसी हुई गाय की तरह मुसीबत में फंस जाता है।''

मनुस्मृति (8/22)–''जिस राज्य में ब्राह्मण न हो वह राज्य दुर्भिक्ष और व्याधियों से पीड़ित हो नष्ट हो जाता है।''

बन गए। लम्बे अंतराल के बाद कबीर, रैदास, दादू, नामदेव, नानक, अछूतानंद हरिहर, पेरियार रामास्वामी, गाडगे बाबा, महामना फूले, नारायण गुरु आदि ने भी अपने–अपने आंदोलन खड़ा कर सामाजिक समरसता कायम करने के प्रयास किए।

बीसवीं शताब्दी में एक ओर गांधी का राजनीतिक आंदोलन था तो दूसरी ओर डॉ. अम्बेडकर का बहु आयामी आन्दोलन। दुनिया जान गई है कि सही मायने में डॉ. अम्बेडकर का आन्दोलन ही न सिर्फ स्त्री शूद्रों के लिए उत्थान का रहा अपितु सम्पूर्ण भारतीय समाज के लिए हितकारी सिद्ध हुआ। किन्तु भारतीय समाज में उनकी सीमित एवं संकुचित छवि को ही उभारा है। उन्हें मात्र दलितों के मसीहा के रूप में ही प्रचारित किया है जबकि वे सम्पूर्ण भारतीय समाज के हित चितंक रहे हैं। उनके द्वारा निर्मित संविधान से कौन लाभान्वित नहीं है?

डॉ. अम्बेडकर हिन्दू कोड बिल के माध्यम से न सिर्फ दबी, कुचली, पीड़ित–प्रताड़ित, दलित नारी का उत्थान एवं उद्धार करना चाहते थे, बल्कि हिन्दू समाज को एक आदर्श समाज बनाना चाहते थे, जो कुरीतियों, कुप्रथाओं, बुराइयों से मुक्त दुनिया का श्रेष्ठ समाज कहला सके। किन्तु उनके संविधान ने दिया है। इस देश में करोड़ों देवी–देवता तब भी थे, अब भी हैं किन्तु स्त्री–शूद्रादि के जीवन में सुधार लाने वाले डॉ. अम्बेडकर हैं, यह किसे नहीं मालूम?

आज 21वीं सदी में भी जात–पात, ऊंच–नीच, छुआछूत, ढोंग, आडम्बर, पाखण्ड एवं अंधविश्वास से सारा भारतीय समाज जकड़ा हुआ है। प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया–अंधविश्वास को प्रभावी ढंग से बढ़ाया जा रहा है। भाग्यवाद, पुनर्जन्म, स्वर्ग–नर्क के चक्कर में भोले–भाले और अशिक्षित समाज को ठगोड़े ठगे जा रहे हैं, और ये मर–मर कर जिए जा रहे हैं।

हिन्दू समाज को एक आदर्श समाज बनाने, समता, समरसत्ता, राष्ट्रीय एकता, अखण्डता स्थापित करने के लिए इन मानवकृत अमानवीय महाझूठों का भंडाफोड़ करने का काम नारी–शूद्र वर्गों के बुद्धिजीवियों, विद्वानों, साहित्यकारों, समाज सेवकों को तो करना ही चाहिए, प्रगतिशील एवं संवेदनशील गैर–दलितों को भी इन निन्दनीय एवं अमानवीय अंधविश्वासों के विरुद्ध बौद्धिक क्रांति कर आदर्श समाज बनाने का प्रयास करना चाहिए। नफरत के कंटीले झाड़ों की जगह हम प्यार और अमन की लहलहाती फसल उगाना चाहते हैं, जिसमें आप सभी का समुचित योगदान अपेक्षित है। •

स्वामी, सम्पादक/ प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर द्वारा वन्दना आफसेट प्रिन्टर्स, A-9 सराय पीपलथला एक्सटेंशन, दिल्ली-33 में मुद्रित तथा रजि. कार्यालय : 233 टैगोर पार्क, माडल टाउन, दिल्ली-9 से प्रकाशित। ❑ सह सम्पादक - श्रीमती त्रिलोचन सुमनाक्षर ❑ व्यवस्थापक : जय सुमनाक्षर, फोन : 27421449, मो. 9810278936 **Email-sumanakshar@ymail.com**
नोट : हिमायती में प्रकाशित रचनाओं के लिए सम्पादक की सहमति जरूरी नहीं। हिमायती से सम्बन्धित किसी भी कानूनी कार्रवाई का क्षेत्र दिल्ली न्यायालय तक ही सीमित है।
सम्पादकीय कार्यालय : बी 3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन-1, दिल्ली-110009